उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग-3
संख्या-166/2020/3615/26-3-2020-4(3)/2012 टी.सी.
लखनऊ: दिनांक: 22 दिसम्बर 2020

शुद्धि पत्र

शासनादेश संख्या-162/2020/2936/26-3-2020-4(3)/2012-टी0सी0, दिनांक-18.12.2020 के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 में केन्द्र पुरोनिधानित अनुसूचित जाति पूर्वदशम् (कक्षा-9 व 10) योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0-20500.00 लाख में से राज्य सरकार पर उपलब्ध केन्द्रांश के रूप में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त **कुल रू0-7742.00 लाख (रू0 सतहत्तर करोड़ बयालीस लाख मात्र)** की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- शासन के उक्त सन्दर्भित शासनादेश की पांचवी पंकित में उल्लिखित ''रू0-7742.00 लाख व राज्यांश की धनराशि रू0-6960.00 लाख'' को विलोपित समझा जाये। शासनादेश संख्या-162/2020/2936/26-3-2020-4(3)/2012-टी0सी0, दिनांक-18.12.2020 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश के शेष अंश यथावत रहेंगे।

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव

संख्या-166/2020/3615(1)/26-3-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2-प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।
3-मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।
4-वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
5-वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
6-राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0।
7-निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
8-गार्डफाइल ।

आज्ञा से,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।